अपर कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

नवभारत न्यूज

बैतूल, 9 जून. अपर कलेक्टर वंदना जाट ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रात: 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं।

प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश

जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती जाट ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई में दोबारा न आना पड़े। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद, एसडीएम डॉ अभिजित सिंह ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। आमला तहसील के ग्राम मोरखा निवासी सतीश बिन्झाड़े ने आवास बनाने के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर अपर कलेक्टर ने जनपद पंचायत आमला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। आठनेर तहसील के ग्राम खापा निवासी वासुदेव खाकरे द्वारा भूमि की मेड़ तोड़े जाने की शिकायत पर तहसीलदार को जांच कर निराकरण के निर्देश दिए।

संबल योजना का लाभ दिलाने की गुहार

जनसुनवाई में बैतूल के काजी जामठी निवासी सुशील परते ने संबल योजना के तहत लाभ नहीं मिलने की शिकायत की जिस पर अपर कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को जांच कर आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। आमला तहसील के ग्राम मोरखा निवासी सतीश बिन्झाड़े ने आवास बनाने के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर अपर कलेक्टर ने जनपद पंचायत आमला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।

अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश

भैंसदेही तहसील निवासी ओझा धुर्वे ने भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर अपर कलेक्टर ने भैंसदेही तहसीलदार को अवैध कब्जा पाए जाने पर हटाने के निर्देश दिए। आठनेर तहसील के ग्राम खापा निवासी वासुदेव खाकरे द्वारा भूमि की मेड़ तोड़े जाने की शिकायत पर अपर कलेक्टर ने आठनेर तहसीलदार को जांच कर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। इसी प्रकार बैतूल के बडोरा निवासी निर्मला मानेकर ने कब्जा की भूमि मुक्त कराने के लिए आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर अपर कलेक्टर ने मुलताई एसडीएम को शीघ्र आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।

जिला योग केंद्र में अब हर दिन गूंजेंगी स्वस्थ जीवन की अलख

बैतूल। सिविल लाइंस स्थित वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ा स्कूल भवन अब नई पहचान के साथ स्वस्थ जीवन का संदेश देगा। कभी बदहाली का प्रतीक रहा यह भवन आज योग, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार नगर पालिका बैतूल द्वारा भवन का जीर्णोद्धार कर इसे जिला योग केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। भवन के कायाकल्प के बाद इसकी तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आकर्षक रंग-रोगन, सुव्यवस्थित परिसर और दीवारों पर बनाए गए योग के विभिन्न आसनों एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रेरक चित्र ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। योग से जुड़े संदेश भवन की सुंदरता के साथ ही नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

प्रतिदिन निशुल्क योग कक्षाओं का होगा संचालन : यह परिसर अब सुबह और शाम योग साधकों की गतिविधियों से जीवंत रहेगा। जिला योग केंद्र में प्रतिदिन निशुल्क योग कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जिसमें बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में भाग लेंगे।

एक नजर में

प्रत्येक शनिवार मेगा अपार आईडी दिवस

बैतूल। राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून 2026 तक प्रत्येक शनिवार मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रत्येक शनिवार को जिले के विद्यालयों में मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी पालक आमंत्रित होंगे तथा आधार एवं सहमति पत्र के साथ उपस्थित होकर बच्चों की अपार आईडी बनवाएंगे। जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि अपार आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी, सीखने के परिणामों के साथ-साथ खेल, कला, सांस्कृतिक एवं अन्य सह-शैक्षणिक उपलब्धियों का भी डिजिटल रूप से संग्रह एवं संरक्षण किया जा सकेगा।

निगरानी समिति की बैठक 11 जून को

बैतूल। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद दुर्गादास उइके की अध्यक्षता में 11 जून को प्रात: 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागृह बैतूल में आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने बताया कि बैठक में केन्द्र, राज्य प्रवर्तित योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा तथा आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की जाएगी।

रोजगार एवं उद्यमिता शिविर 18 जून को

बैतूल। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में युवा संगम के तहत रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप रोजगार मेला तथा उद्यमिता शिविर का आयोजन 18 जून को किया जाएगा। प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे ने बताया कि महाविद्यालय के अटल सभागार में प्रात: 1 से सायं बजे तक आयोजित मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा।

स्लुज गेट एवं तालाब निर्माण का निर्माण स्थल पर लगाए बोर्ड

मुलताई। नपा के एल्डरमेनो ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर को सम्बोधित दो ज्ञापन एसडीएम राजीव कहार को सौपकर ताप्ती सरोवर के स्लुज गेट निर्माण एवं शनि तालाब पर निर्माण कार्य के बोर्ड लगाकर बारिश कद पहले निर्माण कार्य पूर्ण करने कि मांग की है, वहीं दूसरे ज्ञापन में जितने दिन जल प्रदाय किया जा रहा है, उतने ही दिन का जलकर लेने की मांग की है। एल्डरमेन राजू चौबे, निलेश चावरिया, बीना पंजाबी एवं सुनीता नागले द्वारा सौपे ज्ञापन में बताया नगरपालिका के ठेकेदार द्वारा ताप्ती सरोवर का स्लुज गेट एवं शनि तालाब के

सौन्दर्यकरण निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य सीधे तौर पर जनता की आस्था, सुविधा और नगर के विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरे निर्माण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता होना अनिवार्य है ।उक्त कार्य बारिश के पूर्व पूर्ण किया जाना चाहिए ।पारदर्शिता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि निर्माण स्थल या किसी प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर एक सूचना पटल लगाया जाए, जिस पर कार्य की स्वीकृत ड्राइंग नक्शा ठेके की कुल लागत राशि कार्य प्रारंभ व पूर्ण होने की अवधि तथा ठेकेदारएजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करने के साथ ड्राइंग डिजाइन की प्रति देने की मांग की है। एल्डरमेनो द्वारा दूसरे ज्ञापन में बताया नगरपालिका द्वारा नगर में दो दिन या तीन दिन के अंतराल से जल प्रदाय किया जा रहा है। जिससे नगरवासियो को भीषण गर्मी में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका के पास पानी कि कमी नही है, लेकिन नगरपालिका दवाई स्टोरेज टैंक की कमी बताई जा रही है। ज्ञापन में नपा द्वारा जितने दिन पानी दिया जा रहा उतने दिन का जलकर लेने, स्टोरेज टेंक के लिए कार्य योजना बनाने जल प्रदाय का अंतर कम कर एक दिन के अंतराल में जल प्रदाय करने की मांग की है।

जिस मनुष्य में दया नही, वह धार्मिक नही : ठाकुर

मुलताई। पवित्र नगरी मुलताई में मेला ग्राउंड पर चल रही श्रीमद भागवत कथा के चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक देवजी नंदन ठाकुर ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। इसके पहले उन्होने मनुष्य के धार्मिक होने पर कथा सुनाते हुए कहा कि नारद पुराण में कहा है कि आपका,कर्म,व्यवहार आचरण ही आपको को धार्मिक सिद्ध करेंगा, आपके कर्मो से ही सिद्ध होगा की आप धार्मिक है या नही। पुराणों के अनुसार मनुष्य को कर्म करना चहिए,भगवान की कथा सुनना, कीर्तन भजन करना ही नवदा भक्ति है। जिसे प्रथम भक्ति कहा गया है।

भक्ति करने वाले पर द्धद्ध भगवान कृपा करते है, जब भगवान की कृपा हो तो वे दो चीज देते है, प्रथम मनुष्य का शरीर एवं भगवान की कथा तब आपके पास जितने संसाधन हो उससे धर्म को आगे ब ?ाते रहो, जो भी आपके पास है, उससे कल्याण करते रहना चाहिए। गीता का ज्ञान है कि मरने से पहले अपने आप को मुक्त कर दो, मरने से पहले अपनी सरी इच्छाओ को मार दो। सब बच्चों के हवाले कर दो,संसार में अब कुछ मेरा नही वाली सोच आ जाए तो समझ लेना वहीं तुम्हारी मुक्ति है। इस दौरान उन्होंने राजा भरत का उदाहरण देते हुए कहानी सुनाई की गति के समय जिसकी जैसी मति होती है, अगले जन्म में वैसी ही योनि मिलती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक बनने के लिए दया होनी चाहिए, जिस मनुष्य में दया नही, वह धार्मिक नही हो सकता है, लेकिन धर्म और देश की रक्षा के लिए हिंसक होना पडे तो हिंसक होना पडेगा।

स्वच्छता केवल सरकार का ही नहीं, प्रत्येक नागरिक का दायित्व

बैतूल। मप्र शासन के जल गंगा संवर्धन अभियान एवं पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत डेहरी आमढ़ाना, नवांकुर समिति नवोदित ग्रामोत्थान महिला एवं बाल विकास समिति एवं मप्र जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में नंदियाघाट मंदिर एवं बाजार परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। जिसमें मंदिर परिसर, बाजार क्षेत्र एवं आसपास फैले प्लास्टिक, कागज एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर साफ-सफाई की गई। अभियान का उद्देश्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना, जल स्त्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा देना तथा ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत डेहरी आमढ़ाना की सरपंच सुखमणि उइके, राधेश्याम उइके, पंचायत सचिव श्री प्रहलाद, रोजगार सहायक श्री बसंत, परशुराम उइके, अवधेश उइके एवं नवीन कुमार सहित अनेक ग्रामीण जन एवं युवा स्वयंसेवक उपस्थित रहे। मप्र जन अभियान परिषद के परामर्शदाता विजय कुमार महतो, बीएसडब्ल्यू आदित्य वर्मा, एवं हरेंद्र सिंह शास्त्री ने अभियान में सक्रिय सहभागिता करते हुए स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।

2 जेसीबी मशीन, 2 डम्पर एवं 7 ट्रैक्टर जप्त

बैतूल। घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखलपाटी की भड़ंगा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण की सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही करते हुए उक्त क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर, तहसीलदार घोड़ाडोंगरी, नायब तहसीलदार चोपना, हल्का पटवारी, पुलिस थाना चोपना का पुलिस बल खनि निरीक्षक एवं सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान उक्त

नदी क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि ख. क्र.475 रकबा 9.100 हेक्टेयर क्षेत्र में से रेत उत्खनन कर नदी के किनारे ग्राम चिकलपाटी की भूमि ख. क्र. 474 रकबा 64.947 हेक्टेयर मद बड़े झाड़ का जंगल में 02 अलग-अलग ढेर के रूप में खनिज रेत का अवैध भण्डारण करना पाया गया, जिसमें से एक ढेर में खनिज रेत की मात्रा 210 घन मीटर एवं दूसरे ढेर में खनिज रेत की मात्रा 120 घन मीटर पाई गई। इस प्रकार खनिज रेत की कुल मात्रा 330 घन मीटर का मौके पर भण्डारण पाया गया। इसके साथ ही मौके पर 07 ट्रेक्टर-ट्राली में से 03 ट्रैक्टर-ट्राली एवं 01 डम्पर खनिज रेत से भरा पाया गया। संयुक्त अमले द्वारा मौके पर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से भंडारित खनिज रेत मात्रा को जब्त करने के साथ अवैध भण्डारण, परिवहन में संलग्न मशीनऔर वाहनों को भी जब्त कर वाहन मालिकों, अवैध भंडारण कथाओं के विरूद्ध खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से आम नागरिक परेशान

पाथाखेड़ा। भीषण गर्मी के बीच सारनी नगर क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। 220 केवी से लेकर 33 केवी लाइन तक लगातार तकनीकी फॉल्ट,तो कभी ट्रांसफार्मर खराब तो कभी जंपर खराबी और बढ़ते लोड के कारण घंटों बिजली गुल रहने से आम नागरिक भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दिन-रात हो रही अघोषित कटौती से लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। नगरवासियों का आरोप है कि पिछले वर्षों में बिजली विस्तारीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं आज भी कमजोर बनी हुई हैं। लोगों का कहना है कि विस्तारीकरण कार्यों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी आज तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई। लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देकर मामले को टाल रहे हैं। बिजली संकट से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। पेयजल आपूर्ति, व्यापारिक गतिविधियां और दैनिक कामकाज भी बाधित हो रहे हैं। मच्छरों और जहरीले कीटों का प्रकोप बढ़ने से नागरिकों की चिंता और बढ़ गई है। नए मीटर लगाते ही भारी बिल से परेशान हो रही आम जनता जीवन यापन व्यवस्था चरमरा रही है।

स्थानीय मजदूर को रोजगार नहीं देने का आरोप

पाथाखेड़ा। सतपुड़ा पॉवर प्लांट की 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल परियोजना में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के आरोपों को लेकर क्षेत्र में फिर आक्रोश बढ़ गया है। स्थानीय युवाओं ने चिनार एस.एस.एस. प्राइवेट लिमिटेड पर बाहरी मजदूरों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। युवाओं का कहना है कि क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित बेरोजगार मौजूद हैं, इसके बावजूद बाहरी मजदूरों को काम दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। जिसे विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के 70 प्रतिशत स्थानीय और 30 प्रतिशत

बाहरी रोजगार फार्मूले के आश्वासन पर सात दिनों के लिए स्थगित किया गया था। अब युवाओं का आरोप है कि बाहरी मजदूरों की एंट्री कराई जा रही है। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। चिनार एस.एस.एस. प्राइवेट लिमिटेड के साइड इंचार्ज अली आजाद का कहना है कि लगभग 40 मजदूरों का वेरिफिकेशन कराकर उन्हें अंदर लिया गया है। जैसे-जैसे मजदूरों का वेरिफिकेशन होता जाएगा, वैसे-वैसे उनकी एंट्री होती जाएगी।

कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कलेक्ट्रेट परिसर में कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं शासकीय कार्यों की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत अब कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जारी निर्देशों के अनुसार ज्ञापन सौंपने के लिए आयोजक को पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आवेदन में

आयोजक सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। साथ ही ज्ञापन सौंपने की तिथि एवं समय भी निर्धारित करना आवश्यक रहेगा। निर्धारित समय से अधिकतम 30 मिनट की देरी ही मान्य होगी। अनुमति प्राप्त पांच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि सामूहिक रूप से ज्ञापन केवल कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार क्रमांक-01 पर ही सौंपा जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर की 100 मीटर परिधि में किसी भी संगठन को सामूहिक रूप से प्रवेश करने, नारेबाजी करने अथवा धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी रैली या जुलूस के आयोजन के लिए 48 घंटे पूर्व पुलिस को सूचना देना तथा सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। आदेश के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में लाठी-डंडे, पत्थर, घातक हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, बारूद, पटाखे, पेट्रोल अथवा अन्य शस्त्र लेकर प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही परिसर में भारी एवं व्यावसायिक वाहनों के आवागमन पर भी रोक रहेगी। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा समूह के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश शासकीय आयोजनों पर लागू नहीं होगा।

बैठक बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार के लिए बनी कार्ययोजना

बोर्ड परीक्षा परिणाम को 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य किया निर्धारित

बैतूल। जनजातीय कार्य विभाग एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक में बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार के लिए विषय विशेषज्ञों के साथ विस्तृत रणनीति तैयार की गई।

बैठक में पिछले वर्ष संचालित परीक्षा संजीवनी कार्यक्रम के सकारात्मक परिणामों की समीक्षा करते हुए जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम को 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में बताया कि गतवर्ष 2025-26 में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा परीक्षा संजीवनी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिससे विभाग के बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार हुआ है। जिसमें वर्ष 2024-25 में कक्षा 10वी का

परीक्षाफल 77.49 प्रतिशत एवं 12वी का 64.78 प्रतिशत रहा एवं परीक्षा संजीवनी कार्यक्रम के संचालन से वर्ष 2025-26 में कक्षा 10वी का परीक्षा फल 80.23 प्रतिशत एवं कक्षा 12वी का परीक्षाफल 76.94 प्रतिशत रहा है। कलेक्टर द्वारा जिले परीक्षा संजीवनी 2025-26 के परीक्षा परिणाम के सुधार को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिले में इस परीक्षा का आयोजन कराये जाने के निर्देश दिये, जिससे कि जनजातीय कार्य विभाग एवं शिक्षा विभाग को समन्वय बनाकर इस परीक्षा संजीवनी का आयोजन कर जिले का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कलेक्टर द्वारा परीक्षाफल सुधार के लिए परीक्षा संजीवनी, टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया। जिसमें सभी विषय विशेषज्ञों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया। इसका उद्देदश्य जिले में कक्षा 10वी एवं 12वी के बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार करना है। जिन विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों की कमी पाई जाएगी उन विद्यालयों में ऑनलाईन/प्री रिकार्डेड मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा एवं आस पास के विद्यालयों में उपलब्ध विषय विशेषज्ञों को समय-समय पर इन विद्यालयों में अध्यापन के लिए भेजा जाएगा। परीक्षा सजीवनी का संचालन 04 स्तर पर की जाएगी।

परीक्षा संजीवनी कार्यक्रम चार स्तरों पर संचालित होगा

शिक्षकों द्वारा समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण कराते हुए रफ कॉपी, फेयर कॉपी एवं प्रायोगिक कार्य पूर्ण कराना।विषय विशेषज्ञों द्वारा साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक परीक्षाओं का आयोजन कर विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। शाला प्राचार्य शाला के साथ-साथ, आसपास की शालाओं का निरीक्षण करेगे एवं निरीक्षण में प्राप्त कमियों अपने स्तर से या वरिष्ठ कार्यालय से दूर करेगे। सहायक आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, सहित अन्य अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। जेईई, नीट, क्लेट एवं प्रतियोगिताओं के लिए विद्यालय की समय सारणी में एक कालखंड अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए।

बांडिया खापा में हुआ राष्ट्र जागरण दीप महायज्ञ

मुलताई। अखिल विश्व गायत्री परिवार मुलताई के मार्गदर्शन में ग्राम बांडिया में राष्ट्र जागरण दीप महायज्ञ सम्पन्न हुआ, जिसमें वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शाखा मुलताई के व्यवस्थापक एवं भोपाल जोन सह समन्वयक रामचंद्र गायकवाड़ के द्वारा दीप महायज्ञ में उपस्थिति ग्रामीण भाई बहनों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि हमें परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के द्वारा संचालित युग निर्माण योजना के भागीदार बनकर उनके कार्यों को उनके विचारों को निरंतर जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने साधना ,उपासना,आराधना को जीवन में उतारने की जरूरत है। जिससे हम सभी में देवत्व के गुण आ जाएं और और दुष्प्रवतियों का

विनाश हो जाए। दीपयज्ञ में ग्रामीण भाई बहनों ने सैकड़ों दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्र के नव निर्माण एवं सुख शांति समृद्धि हेतु गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां समर्पित की एवं पूर्णाहुति में अपने अंदर की बुराई को छोड़ने एवं अच्छाइयों को धारण करने का संकल्प लिया। वहीं ग्राम को पूर्ण रूप से नशा मुक्त ग्राम बनाने का संकल्प लिय। इस दौरान गायत्री परिवार मुलताई के वरिष्ठ कार्यकर्ता, रामचंद गायकवाड़ सम्पत राव धोटे, गुलाबराव चिल्हाटे, नारायण देशमुख, सुरेश माकोड़े, गणपति गायकवाड़, नामदेव चिलहाटे सहित भोजराव वागद्रे ,पांडुरंग साबले,मंगेश मांकोड़े, वंदना माकोड़े,कृष्ण पारखे,गुनता साबले,नारायण साबले, सन्तुष साबले,आदि ग्रामीण जन उपस्थित रहे।